

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.चंदेलिया

प्रकरण सं० : 85/2023

1. कुलदीप उर्फ संदीप पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सागडा तहसील भादरा।
 2. चावली उर्फ चन्द्रावली पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी सागडा त० भादरा।
- :- वादीगण


बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

:- प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद कारेला व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा रोही मोजा चक 7 जेएसएल के खाता सं० 55/100 के मु०न० 57 कि०न० 11, 12, 13, 19, 20 कुल 1.265है० में वादीगण प्रत्येक का 1/42 हिस्सा तथा चक 8 जेएसएल के खाता सं० 201/164 के मु०न० 49 कि०न० 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु०न० 50 कि०न० 20, 21 मु०न० 89 कि०न० 1/1, 1/2 मु०न० 90 कि०न० 2 ता 9, 12 ता 22 कुल 8.855है० में वादीगण प्रत्येक के नाम 1/210 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादभूमि में वादी सं० 1 का नाम कुलदीप पुत्र मनीराम के स्थान पर संदीप पुत्र मनीराम तथा वादी सं० 2 का नाम चावली पत्नी मनीराम के स्थान पर चन्द्रावली पत्नी मनीराम दर्ज हो गया है। जबकि वादी सं० 1 का सही नाम कुलदीप पुत्र मनीराम व वादी सं० 2 का सही नाम चावली पत्नी मनीराम है। अतः रोही मोजा चक 7 जेएसएल के खाता सं० 55/100 के मु०न० 57 कि०न० 11, 12, 13, 19, 20 कुल 1.265है० में वादीगण प्रत्येक का 1/42 हिस्सा तथा चक 8 जेएसएल के खाता सं० 201/164 के मु०न० 49 कि०न० 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु०न० 50 कि०न० 20, 21 मु०न० 89 कि०न० 1/1, 1/2 मु०न० 90 कि०न० 2 ता 9, 12 ता 22 कुल 8.855है० में वादीगण प्रत्येक के नाम 1/210 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी सं० 1 के नाम दर्ज वादभूमि में वादी सं० 1 का नाम संदीप पुत्र मनीराम की जगह कुलदीप पुत्र मनीराम तथा वादी सं० 2 के नाम दर्ज वादभूमि में वादी सं० 2 का नाम चन्द्रावली पत्नी मनीराम की जगह चावली पत्नी मनीराम किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच संदीप पुत्र मनीराम व चन्द्रावली पत्नी मनीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में संदीप पुत्र मनीराम व चन्द्रावली पत्नी मनीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी संदीप पुत्र मनीराम व चन्द्रावली पत्नी मनीराम नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07-06-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(ओ.पी.चंदेलिया) R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ